सं0सं0–07/विविध–28–56/2021–22 – 159 (7)

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

शंभु शरण भा०प्र०से०,
सरकार के अपर सचिव ।

सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं ह0),
वीरचन्द पटेल पथ, बिहार, पटना ।

द्वाराः– आन्तरिक वित्तीय सलाहकार।

पटना, दिनाक– 16/07/2025

विषयः– बिहार राज्य में अगले 5 (पाँच) वर्षों (वित्तीय वर्ष 2022–23 से 2026–27 तक) के लिए कुल राशि रु० 300 करोड़ (तीन सौ करोड़ रुपये) के अनुमानित लागत के साथ "मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना" को चरणबद्ध तरीके से लागू किए जाने की प्रशासनिक स्वीकृति के विरूद्ध चालू वित्तीय वर्ष 2025–26 में रू० 20,98,00,000/–(रूपये बीस करोड अन्ठानवे लाख) मात्र व्यय निमित विमुक्ति कीस्वीकृति।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि बिहार राज्य मे अगले 5 (पॉच) वर्षों (वित्तीय वर्ष 2022–23 से 2026–27 तक) के लिए कुल राशि रु० 300 करोड (तीन सौ करोड रुपये) के अनुमानित लागत के साथ 'मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थयोजना" को चरणबद्ध तरीके से लागू किए जाने की प्रशासनिक स्वीकृति विभागीय राज्यादेश संख्या–104(7), दिनांक–11.07.2022 द्वारा प्रदान की गयी है।

2– इस योजना हेतु अब तक आवटित राशि का विवरण निम्नरुपेण है–

क्र0 स0	वित्तीय वर्ष	राशि (रु0 मे)	व्ययादेश स0/आवटनादेश स0 एव दिनाक
1	2022–23	91,00,00,000/–	स0–216(7), दिनांक–28.09.2022 एवं शुद्धि पत्र संख्या–223(7), दिनाक–10 10.2022
2	2022–23	9,00,00,000/–	स0–453(7), दिनांक–13.02.2023
3	2024–25	17,55,90,000/–	स0–76(7), दिनांक–19.06.2024
4	2024–25	36,57,00,000/–	स0–99(7), दिनाक–11.07.2024
कुल योग–		1,54,12,90,000/–	

3– वित्तीय वर्ष 2025–26 में उक्त योजना हेतु रू० 20,98,00,000/–(रूपये बीस करोड अन्ठानवे लाख) मात्र की व्यय निमित विमुक्ति की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

4–राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था को आमजनों तक सुलभ करने एवं Digital तकनीक के माध्यम से इसका अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए राज्य में डिजिटल हेल्थ योजनाप्रारंभ किए जाने की आवश्यकता महसूस की गई, जिसके लिए इस योजना के माध्यम से आम जनों को निम्नांकित सुविधा प्रदान किए जाने का उद्देश्य है :–

(i) बुनियादी चिकित्सीय जॉच एवं सामुदायिक स्वास्थ्य पहल का स्वचालीकरण (Automation) करना।

(ii) राज्य की जनता के लिए 24x7 आपातकालीन चिकित्सीय सुविधा एवं विशेषज्ञ चिकित्सकों का परामर्श प्राप्त करने की स्वचालित तकनीक के माध्यम से व्यवस्था करना।

(iii) राज्य की जनता के स्वास्थ्य का अनुश्रवण एवं उसमें सहयोग प्रदान करना।

(iv) मरीजों के लिए आवश्यकतानुसार विशेषज्ञ/उच्च चिकित्सीय सुविधा केन्द्रों पर रेफर करने एवं उनके आवागमन की निर्बाध सुविधा प्रदान करने में डिजिटल तकनीक का प्रयोग करना।

(v) मरीजों के चिकित्सीय जॉच एवं परामर्श को डिजिटल तकनीक के माध्यम से संधारित करना, ताकि किसी भी चिकित्सीय संस्थान में उन्हे जॉच रिपोर्ट का कागज ले जाने की आवश्यकता नहीं हो।

5— राज्य की जनता को उपर्युक्त लाभ प्रदान किए जाने के साथ ही इस योजना से राज्य के स्वास्थ्य सुविधा की प्रशासनिक एवं संस्थागत व्यवस्था को सुदृढ करने में भी काफी सहायता मिलेगी। इस क्रम में इस योजना के माध्यम से निम्नलिखित कार्य आसान हो जायेंगे :—

(i) पेशेवर चिकित्सीय व्यवस्था एवं सहायता की उपलब्धता एवं उनका अनुश्रवण आसानी से हो सकेगा।

(ii) राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था एवं कार्य प्रणाली का एकरूप मानक तैयार करने मे आसानी होगी।

(iii) राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था में संलग्न कर्मियों/संस्थानों/उपकरणें की कार्यक्षमता एवं कार्य प्रणाली का बेहतर प्रबंधन हो पायेगा तथा साथ ही साथ इसके परिणामों का भी बेहतर विश्लेषण हो पायेगा।

(iv) राज्य में उपलब्ध स्वास्थ्य व्यवस्था का डिजिटल तकनीक के माध्यम से एकीकरण हो सकेगा।

(v) राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था एवं आम जनों के Health Records के ऑकडे डिजिटल तकनीक के माध्यम से उपलब्ध रहने पर भविष्य के नीति निर्माण में इनका उपयोग हो सकेगा।

6— उपर्युक्त उद्देश्यों की प्राप्ति तथा नालंदा एवं मुजफ्फरपुर जिले में प्रयोगात्मक रूप से डिजिटल हेल्थ कार्यक्रम के उत्साहवर्धक परिणाम के फलस्वरूप बिहार राज्य में अगले 5 (पॉच) वर्षों (वित्तीय वर्ष 2022—23 से 2026—27 तक) के लिए कुल राशि 300 करोड (तीन सौ करोड रुपये) के अनुमानित लागत के साथ "मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थयोजना" को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाना है।

7— मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना मेंHospital Information Management System (HIMS), Enterprises Resource Planning (ERP), Community Service Management System(CSMS), Electronic Health Record (EHR), Citizen Web Portal, Integrated with Existing Applications, ABDM Roll OutएवंCommand and Control Centreका एकीकृत समावेश रहेगा। मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना के तहत प्रस्तावित Applicationको एक Secured Cloud Serverपर Deployकिया जाएगा तथा इस कार्यक्रम के सफल संचालन हेतु सभी सम्बन्धित कर्मियों को प्रशिक्षित किया जाएगा। योजना के पॉच साल पूर्ण होने के उपरांत इस योजना का संचालन विभाग के द्वारा किया जाएगा। इस संदर्भ में आवश्यक प्रशिक्षण सुनिश्चित किया जाएगा।

8— इस योजना के अन्तर्गत जो डिजिटल प्लेटफॉर्म विकसित किया जाएगा, निम्न रूप में होगा :—

(i) भारत सरकार के द्वारा स्थापित मानकों (आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन) के अनुरूप होगा।

(ii) आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के सभी key components के साथ एक—दूसरे के अनुकूल (Compatible) होगा।

(iii) इस योजना में आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के साथ कोई दोहराव नहीं है अपितु यह दोनों एक दूसरे के अनुपूरक होंगे।

(iv) स्वास्थ्य विभाग के अन्तर्गत जितने भी आवश्यक App हैं उनको यथावत या Upgradeकरके इसके साथ संबद्ध किया जाएगा।

(v) इस व्यवस्था के माध्यम से प्राप्त होने वाली अनुपस्थिति विवरणी को वेतन भुगतान से संबंधित App/Platformके साथ संबद्ध किया जाएगा। साथ ही चिकित्सकों की अनुपस्थिति की समस्या के निराकरण में भी मदद मिलेगी।

9— इस योजना का कार्यान्वयन चरणबद्ध तरीके से किया जाना है, जिसके तहत प्रथम वर्ष में इसके Design Developmentके साथ 3(तीन) जिलों में Pilot Basisपर Go Liveकिया जाएगा। इसके पश्चात् दूसरे वर्ष में इसे शेष 35 (पैंतीस) जिलों में Roll Outकिया जाएगा।

10— इस योजना के Design Developmentमें प्रथम वर्ष (2022—23) में रु0100 करोड (एक सौ करोड रुपये) द्वितीय वर्ष (2023—24) में लगभग रुपये 80 (अस्सी) करोड तथा शेष तीन वर्षों (2024—25, 2025—26 एवं 2026—27) में Operation एवं Maintenance के लिए प्रति वर्ष 40 करोड की दर से कुल 120 (एक सौ बीस करोड रुपये) अर्थात् कुल 300 करोड रुपये (तीन सौ) की लागत आकलित किया गया है।

11— यह कार्य राज्य स्वास्थ्य समिति के माध्यम से कराया जाएगा। इस कार्य हेतु निविदा के माध्यम से एजेंसी का चयन कर किया जाएगा तथा भुगतान हेतु स्वास्थ्य विभाग के द्वारा राज्य स्वास्थ्य समिति को राशि आवटित की जाएगी।

12— इस राशि के व्यय का वहन मॉग संख्या—20 मुख्य शीर्ष 2210—चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, उपमुख्य शीर्ष—03—ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएँ—ऐलोपैथी—लघु शीर्ष—103 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र—उपशीर्ष—0103—स्वास्थ्य केन्द्रों का जीर्णोद्धार—सात निश्चय—2 विपत्र कोड—20—2210031030103 अन्तर्गत विषय शीर्ष 28—04 व्यावसायिक/कला/तकनीकी सेवाएँ मद में वर्त्तमान वित्तीय वर्ष में उपबंधित राशि से किया जाएगा।

13— इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव—सह—निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना होंगे एवं नियंत्री पदाधिकारी, निदेशक प्रमुख (प्रशासन), स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना होंगे।

14—अवर सचिव—सह—निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना बी0टी0सी0 फॉर्म—46 में तैयार विपत्र के माध्यम से राशि को नगद नहीं बल्कि खाता अंतरण के माध्यम से राज्य स्वास्थ्य समिति, पटना को उपलब्ध करायेंगे, जो उक्त राशि को पी0एल0 एकाउन्ट सं0—PBBPLA011विपत्र कोड—00-8448001200027-0001के अन्तर्गत ledger ID-------------में जमा कर राशि का खर्च विधिवत प्रक्रिया अपनाते हुए करेंगे।

15— राज्य स्वास्थ्य समिति, पटना इस राशि का धन ऋणज्ञापन (Plus-Minus Memoranda)एवं व्यय के सुसंगत भावचर्स / उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ ससमय कोषागार पदाधिकारी के माध्यम से महालेखाकार, बिहार को सुलभ करायेंगे ।

16— राशि की निकासी वित्त विभाग के परिपत्र संख्या—2561 वि0(2), दिनाक—17.04.98, 8543 वि0(2), दिनांक—27.11.2007, 3758/वि०, दिनांक—31.05.2017 एवं 12888/वि०, दिनाक—03.12.2024 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

17— राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से की जायेगी।

18— प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या—07/विविध—28—56/2021—22 के पृष्ठ—......./टि0 में प्राप्त है।

19— प्रस्ताव एवं प्रारूप में अपर मुख्य सचिव का अनुमोदन प्राप्त है ।

20— संबंधित प्रस्ताव में महालेखाकार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है ।

21— यह मात्र व्ययादेश है। आवंटन CFMS के माध्यम से निर्गत किया जाएगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

16.7.25

(शंभू शरण)

सरकार के अपर सचिव।

Alpana

ज्ञापांक—07/विविध—28—56/2021—22 – 152(7)स्वा0, पटना दिनांक— 16/07/2025

प्रतिलिपि—योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, स्वास्थ्य भवन, शेखपुरा, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि०, स्वास्थ्य भवन, शेखपुरा, पटना/सभी प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार/सभी जिला पदाधिकारी, बिहार/सभी क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार/सभी प्राचार्य/अधीक्षक, चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, बिहार/सभी असैनिक शल्य चिकित्सक—सह—मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, बिहार/अवर सचिव—सह—निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि—माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य विभाग के प्रधान आप्त सचिव/सचिव, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाये, बिहार, पटना/लेखा शाखा, स्वास्थ्य विभाग/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा—7एवं सहायक प्रशाखा पदाधिकारी/आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

16.7.25

सरकार के अपर सचिव।

Alpana